

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018—आश्विन 13, शक 1940

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. 32-18-2018-म-इकतीस-263.—यतः; मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचन माह नवम्बर, 2018 में सम्पन्न होना है। अतः
मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा (3) और (7) के अधीन जल उपभोक्ता संथाओं
के टी. सी. सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन कराने हेतु जिला प्रशासन, विभाग के मैदानी अधिकारी एवं विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं
की उपलब्धता में कठिनाई होगी;

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन, 2018 की शेष गतिविधियों, एतद्वारा, राज्य विधान सभा निर्वाचन, 2018 की प्रक्रिया
पूर्ण होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. 32-18-2018-म-इकतीस-264.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना
क्र. 32-18-2018-म-इकतीस-263, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया
जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव।

Bhopal, the 5 October 2018

No. 32-18-2018-M-XXXI-265.—WHEREAS, the election for Madhya Pradesh State Assembly is expected to be held in the month of November, 2018. Therefore, the availability of services of the district administration, field officers and the employees of department shall be difficult for conducting the election of T. C. members and Presidents of Water User's Association under sub-section (3) and (7) of Section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Mein Krishakon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 41 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Mein Krishakon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the remaining activities of Water User's Association Election, 2018 are hereby, postponed till the completion of State Assembly Election, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD SINGH TEKAM, Dy. Secy.